



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1946 (श०)

(सं० पटना 857) पटना, बुधवार, 28 अगस्त 2024

परिवहन विभाग

आधिसूचना

27 अगस्त 2024

सं० 06 / विविध (दु० मु०)–१९ / २०२४–९९६५—मोटरवाहन (यथा संशोधित) अधिनियम, 1988 की धारा–१६५ सह पठित धारा–१७६ के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–२१२ के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप का पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं०–९६१५, दिनांक–०७.०८.२०२४ द्वारा करते हुए प्राप्त आपत्ति / सुझाव का निष्पादन किया जा चुका है।

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- यह नियमावली बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहीं जा सकेंगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम–७ को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

7. मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति।—

- इस नियमावली के अंतर्गत गठित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर, आवेदकों का चयन एक चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नरूपेण होगी:—

(क)	मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश।	—	अध्यक्ष
(ख)	महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना।	—	सदस्य
(ग)	सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।	—	सदस्य
(घ)	सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।	—	सदस्य
(ड़)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (अपर सचिव से अन्यून)।	—	सदस्य

- (iii) चयन समिति द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार मेधा सूची के साथ चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। तदनुसार राज्य सरकार के अनुमोदन से बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

3. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"8. पदत्याग एवं पद से हटाया जाना।—

- (i) दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पदत्याग अथवा उन्हें पदमुक्त किया जाना।— नियुक्ति के पश्चात् कार्यरत अध्यक्ष द्वारा किसी निजी कारणवश पदत्याग किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए उन्हें एक माह (30 दिन) पूर्व सूचना देना अपेक्षित होगा, ताकि न्यायिक कार्यवाही में अक्समात् अवरोध उत्पन्न नहीं हो।
- (ii) पदत्याग के लिए पूर्व सूचना।— इस उद्देश्य से सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को सम्बोधित कर सूचना दी जा सकेगी, ताकि यथाशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
- (iii) अध्यक्ष की पदमुक्ति।— किसी कार्यरत अध्यक्ष को अपरिहार्य कारणवश प्रशासनिक दृष्टिकोण से पदमुक्त किये जाने की आवश्यकता होने पर, परिवहन विभाग द्वारा इस नियमावली के तहत संशोधित नियम-7 (ii) के अंतर्गत गठित चयन समिति के समक्ष मामलों को रखकर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त पदमुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।"

4. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-15 (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

- 15.(i) (क) इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् तत्समय प्रभावी मोटरवाहन अधिनियम, 1939 के अधीन, बिहार मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अंतर्गत सभी जिला में गठित दावा न्यायाधिकरणों के स्तर पर अबतक विचाराधीन लंबित दावा वाद— [जो 01.04.2019 को अथवा उसके पश्चात् दायर किये गये हों] संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर से इन प्रमंडल स्तरीय न्यायाधिकरणों को निष्पादन हेतु हस्तान्तरित किये जा सकेंगे।
- (ख) दिनांक-01.04.2019 पूर्व के दावा वाद (जो अभी लंबित हों) जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के स्तर पर अधिसूचित दावा न्यायाधिकरण के स्तर से ही निष्पादित किया जायेगा, परन्तु नए दुर्घटना दावा वाद इनसे पूर्व गठित दावा न्यायाधिकरणों में दायर नहीं किये जा सकेंगे।
- (ग) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021, बिहार मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा (गठन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या-7997, दिनांक-20.10.2023) के तहत अबतक की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई व्यवहृत मानी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 857-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>